



राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक: प.3(50)नवि/03/2012

जयपुर, दिनांक: 24 JAN 2012

आदेश

इस विभाग के पूर्व में जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21.09.2012 के द्वारा राजकीय भूमि (सिवाय चक, अवाप्तशुदा भूमि एवं अन्य राजकीय भूमि) के नियमन के लिये (जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की लालकोठी योजना, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, के दोनों ओर की 200 फीट चौड़ी पट्टी के भीतर एवं पृथ्वीराज नगर योजना को छोड़कर) देय दरें निम्नांकित तालिका -1 के अनुसार निर्धारित की गयी थी :-

तालिका -1

क्र. सं.	नगरीय क्षेत्रों के नाम	आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन हेतु देय दरें	वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ नियमन हेतु देय दरें
1.	जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा व भिवाड़ी	आवासीय आरक्षित दर का 25 प्रतिशत या 1500/- रुपये प्रति वर्गगज जो भी अधिक हों	वाणिज्यिक आरक्षित दर का 25 प्रतिशत या 5000/- रुपये प्रति वर्गगज जो भी अधिक हों
2.	जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर व भीलवाड़ा को छोड़कर 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले शेष नगरीय क्षेत्र	आवासीय आरक्षित दर का 25 प्रतिशत या 750/- रुपये प्रति वर्गगज जो भी अधिक हों	वाणिज्यिक आरक्षित दर का 25 प्रतिशत या 2500/- रुपये प्रति वर्गगज जो भी अधिक हों
3.	भिवाड़ी को छोड़कर 50,000 से कम जनसंख्या वाले शेष नगरीय क्षेत्र	आवासीय आरक्षित दर का 25 प्रतिशत या 300/- रुपये प्रति वर्गगज जो भी अधिक हों	वाणिज्यिक आरक्षित दर का 25 प्रतिशत या 1000/- रुपये प्रति वर्गगज जो भी अधिक हों

2. अब उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये सिवायचक भूमियों पर अतिक्रमण कर दिनांक 01.01.1991 से पूर्व निवास कर रहे व्यक्तियों/परिवारों के भूखण्डों के आवासीय/व्यावसायिक निर्मित क्षेत्रफल के नियमन हेतु "प्रशासन शहरों के संग अभियान - 2012 -2013" की अवधि में दिनांक 31.03.2013 तक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में नियमन के लिए उपरोक्त तालिका -1 में वर्णित दरों के स्थान पर निम्नांकित तालिका-2 के अनुसार दरें वसूल की जायेगी :-

तालिका - 2

(दिनांक 01.01.1991 से पूर्व राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर बनाये गये निर्मित भवनों के नियमन हेतु दिनांक 31.03.2013 तक आवेदन किये जाने की स्थिति में निर्धारित दरें)

क्र. सं.	नगरीय क्षेत्रों के नाम	आवासीय प्रयोजनार्थ निर्मित क्षेत्रफल के नियमन हेतु दरें	वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ निर्मित क्षेत्रफल के नियमन हेतु दरें
1.	जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाडा व भिवाड़ी	200/- रुपये प्रति वर्गगज	400/- रुपये प्रति वर्गगज
2.	जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर व भीलवाडा को छोड़कर शेष सभी नगरपरिषद क्षेत्र	150/- रुपये प्रति वर्गगज	300/- रुपये प्रति वर्गगज
3.	भिवाड़ी को छोड़कर शेष सभी नगरपालिका मण्डलों के नगरीय क्षेत्र	100/- रुपये प्रति वर्गगज	200/- रुपये प्रति वर्गगज

स्पष्टीकरण -1 :- तालिका-2 में वर्णित "आवासीय प्रयोजनार्थ निर्मित क्षेत्रफल" अथवा "वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ निर्मित क्षेत्रफल" से आशय वास्तविक निर्मित क्षेत्रफल से है जिसमें ऐसे निर्मित क्षेत्र के आगे-पीछे, दोनों साईड में खाली भूमि (भले ही उस पर चारदीवारी बनी हो) शामिल नहीं है।

स्पष्टीकरण -2 :- तालिका-2 में वर्णित दरें केवल "प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012-2013" के दौरान ही प्रभावी रहेगी, अर्थात् केवल उन्हीं आवेदकों को इस छूट का लाभ देय होगा जिन्होंने दिनांक 31.03.2013 तक नियमन हेतु संबंधित नगर निकाय के कार्यालय में विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त कर ली हों। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त प्रार्थना पत्र जो दिनांक 01.01.1991 से पूर्व सरकारी भूमि पर किये गये अतिक्रमण के नियमन हेतु प्रस्तुत होंगे उनके प्रकरणों में उपरोक्त तालिका-1 के अनुसार ही दरें लागू रहेगी।




स्पष्टीकरण -3:- सिवायचक भूमियों पर दिनांक 01.01.1991 के पश्चात् अतिक्रमण कर निवास कर रहे व्यक्तियों से भूखण्डों के नियमन पर दरें उपरोक्त वर्णित तालिका -1 के अनुसार ही वसूल की जायेगी, भले ही उन्होंने अभियान अवधि के दौरान दिनांक 31.03.2013 से पूर्व आवेदन किया हो।

स्पष्टीकरण -4:- दिनांक 01.01.1991 से पूर्व सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाये गये किसी निर्मित भवन का नियमन यदि तालिका -1 में वर्णित दरें वसूल करते हुये कर दिया गया है तो वह राशि रिफण्ड नहीं की जायेगी।

3. ऐसी राजकीय/चरागाह भूमियों का नियमन नहीं किया जायेगा जो कि माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा अब्दुल रहमान प्रकरण में पारित आदेश, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपालसिंह प्रकरण में पारित आदेश तथा माननीय उच्च न्यायालय/माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्य प्रकरणों में समान प्रकृति के जारी निर्देशों के अन्तर्गत निषिद्ध की हुयी है।
4. आबादी क्षेत्र में निजी स्वामित्व की भूमि जो आबादी के रूप में दर्ज है उस पर बसे हुये परिवारों के द्वारा आवेदन किये जाने पर नियमन किये जाने की स्थिति में क्षेत्र की वर्तमान डीएलसी दर की 5 प्रतिशत राशि वसूल कर पट्टा जारी किया जा सकेगा।

यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी. क्रमांक 101205092 दिनांक 22.01.2013 पर सहमति से जारी किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(गुरदयाल सिंह संधु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव